(लोक सभा द्वारा 6.3.2020 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 376-सी

[दि इन्सोलवेंसी एंड बैंकरपसी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 28 दिस्मबर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में,—

(i) खंड (12) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (15) में, "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसा अन्य ऋण, जो अधिसूचित किया जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए निगमित ऋणी के विरूद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी वर्ग के ऐसे कम से कम एक सौ लेनदारों या उसी वर्ग के ऐसे लेनदारों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे वित्तीय लेनदारों के लिए, जो किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन आबंटिती हैं निगमित ऋणी के विरूद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक आवेदन उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कम से कम एक सौ आबंटितियों द्वारा या उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कुल आबंटितियों की संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन पहले और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार द्वारा फाइल किया गया है और उसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर, पहले या दूसरे परंतुक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपांतरित किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर ऐसा आवेदन उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में की कोई बात खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट निगमित ऋणी को किसी अन्य निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने से निवारित नहीं करेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित सेक्टरीय विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसा ही अनुदान या अधिकार का प्रदान किया जाना, दिवाला के आधारों पर इस शर्त के अधीन रहते हुए निलंबित या पर्यवसित नहीं किया जाएगा कि अधिस्थगन अवधि के दौरान अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसे ही अनुदान या अधिकार के उपयोग या उसके बने

रहने के कारण उद्भूत होने वाले चालू शोध्यों के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी के मूल्य को संरक्षित और परिरक्षित करने और माल या सेवाओं के प्रदाय का ऐसे निगमित ऋणी की संक्रियाओं का चालू समुत्थान के रूप में प्रबंध करने को महत्वपूर्ण समझता है तो ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अधिस्थगन की अवधि के दौरान ही पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके जहां ऐसे निगमित ऋणी ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्रदाय से उद्भूत होने वाले शोध्यों का संदाय नहीं किया है ।";

(ग) उपधारा (3) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे संव्यवहार, करार, अन्य ठहराव, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ;"।

धारा 16 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "दिवाला प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "दिवाला प्रारंभ की तारीख को" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, "इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् निगमित ऋणी की संक्रियाओं का प्रबंध तब तक करता रहेगा, जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करने वाला या धारा 34 के अधीन समापक की नियुक्ति करने वाला आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है ।"।

धारा 29क का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(i) खंड (ग) के दूसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में, "इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (त्र) के दूसरे परंतुक में, "इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरा किए जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 32क का अंत:स्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पूर्व में किए गए अपराधों के लिए दायित्व, आदि।

"32क. (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के लिए निगमित ऋणी का दायित्व धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदित किए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगा और निगमित ऋणी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, यदि समाधान योजना का परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति,—

(क) जो संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार नहीं था ; या

(ख) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है :

परंतु यदि कोई अभियोजन ऐसे निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान संस्थित किया गया है तो वह इस उपधारा की अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के अध्यधीन समाधान योजना की तारीख से उन्मोचित हो जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित "पदाभिहित भागीदार" था, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित "ऐसा कोई अधिकारी था, जो व्यतिक्रमी है" या ऐसे अपराध के किए जाने में अपने कारबार के संचालन के लिए किसी भी रीति में निगमित ऋणी का भारसाधक था या उसके प्रति उत्तरदायी था, या किसी भी रीति में निगमित ऋणी के साथ सहयुक्त था और जो अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या फाइल की गई शिकायत के अनुसार ऐसे अपराध के किए जाने में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संलिप्त था, इस बात के होते हुए भी कि निगमित ऋणी का दायित्व इस उपधारा के अधीन समाप्त हो गया है, निगमित ऋणी द्वारा किए ऐसे अपराध के लिए अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा । 2009 का 6 2013 का 18

(2) निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहां ऐसी संपत्ति धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत नहीं आती है, जिसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के नियंत्रण में या ऐसे व्यक्ति के लिए इस संहिता के भाग 2, अध्याय 3 के उपबंधों के अधीन समापन आस्तियों के विक्रय में परिवर्तन है जो,—

(i) संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार नहीं था ; या

(ii) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास

करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) ऐसे किसी अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई में ऐसी विधि के अधीन, जो निगमित ऋणी को लागू हो, ऐसी संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, प्रतिधारण या जब्ती सम्मिलित होगी ;

(ii) इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निगमित ऋणी या किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई को वर्जित करती है, जिसने इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से या समापन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी संपत्ति का अर्जन किया है और वह इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई ऐसी विधि के अधीन की जा सकेगी, जो लागू हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस धारा में प्रदान की गई उन्मुक्ति के होते हुए भी ऐसा निगमित ऋणी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे ऐसे निगमित ऋणी या व्यक्ति को लागू ऐसी विधि के अधीन सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी प्राधिकारी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा ।"।

धारा 227 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 227 में,—

(i) "इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी" शब्दों के स्थान पर, "इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्गों के लिए दिवाला और समापन कार्यवाहियां ऐसे उपांतरणों सहित और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, संचालित की जाएंगी ।"।

धारा 239 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;

(चख) धारा 29क के खंड (ग) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन संव्यवहार ;

(चग) धारा 29क के खंड (ञ) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;"।

धारा 240 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) वे परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण माल या सेवाओं का प्रदाय, धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित किया जा सकेगा, निलंबित किया जा सकेगा या विच्छिन्न किया जा सकेगा ;"।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

14. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है । 2019 का अध्यादेश सं0 16

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 2016 का 31

MGIPMRND—5736LS(CRC)—6-3-2020.